



SPICES BOARD

(Ministry of Commerce & Industry Govt. of India)
Sugandha Bhavan
N.H.By-pass
P.B.No. 2277
Palarivattom P.O.
Kochi - 682 025, India

स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
सुगन्ध भवन
एन.एच.बाईपास
पी.बी. नं. 2277
पालारिवट्टम पी.ओ.
कोच्ची - 682 025, भारत

परिपत्र संख्या : 16/2023-24

तारीख : 27-09-2024

Circular No. 16/2023-24

Dated: 27/09/2024

विषय: मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र(सी आर ई एस) के नवीनीकरण आवेदन- बाबत
संदर्भ : परिपत्र संख्या 15/2023-24 दिनांक 19-02-2024

Sub: Renewal Applications for Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) – reg.

Ref: Circular No. 15/2023-24 dated 19/02/2024

जैसा कि आप जानते हैं, मसाला बोर्ड का मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध है। परिपत्र संख्या 15/2023-24 दिनांक 19/02/2024 के अनुसार, सभी निर्यातकों को अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि को या उससे पहले अपने नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 के खंड 4 के अनुसार जिन निर्यातकों ने समय पर उचित रूप से अपनी तिमाही निर्यात विवरणियां (क्यूईआर) दाखिल नहीं की हैं और जिन निर्यातकों ने प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के दौरान किसी मसाले का निर्यात नहीं किया है, वे सीआरईएस के नवीकरण के लिए पात्र नहीं हैं।


As you are aware, the Spices Board's Certificate of Registration as an Exporter of Spices (CRES) is valid for three years from the date of issue. As per Circular No. 15/2023-24 dated 19/02/2024, all exporters are required to file their renewal applications on or before the expiry date of their Registration Certificate. Also, according to Clause 4 of the SPICES BOARD (REGISTRATION OF EXPORTERS) REGULATIONS, 1989, exporters who have not filed their Quarterly Export Returns (QERs) in a timely manner and also the exporters who have not exported any spices during the validity period of the Certificate are not eligible for renewal of CRES.

तथापि, यह देखा गया है कि कुछ नवीकरण आवेदन तिमाही निर्यात विवरणियों को समय पर प्रस्तुत किए बिना समाप्ति की तारीख के बाद प्रस्तुत किए जा रहे हैं और प्रमाणपत्र की वैधता अवधि के दौरान मसालों का कोई निर्यात भी नहीं किया जाता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि पंजीकरण प्रमाणपत्र की समाप्ति तिथि के बाद त्रैमासिक निर्यात रिटर्न (क्यूईआर) जमा किए बिना प्राप्त किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, और भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। (कृपया मसाला बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम, 1989 के खंड 3(1) (4) को देखें।

However, it has been observed that some renewal applications are being submitted after the expiry date, without timely submission of Quarterly Export Returns and also there is no export of spices during the validity period of the certificate. In view of the above, it is brought to your notice that any application received after the expiry date of the Registration Certificate, without submission of Quarterly Export Returns (QERs) and if no export of spices/spice products during the validity period of the certificate, will be summarily rejected, and the fee paid will not be refunded under any circumstances. (Please refer to Clause 3(1)(4) of the Spices Board (Registration of Exporters) Regulation, 1989.

हम सभी निर्यातकों से आग्रह करते हैं कि वे इस पर उचित ध्यान दें और इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करें।

We urge all exporters to take due notice of the same and take prompt action in this regard.



निदेशक(विपणन)/ DIRECTOR(MARKETING)

सेवा में,/To .

मसालों के सभी निर्यातक / मसाला बोर्ड के सभी प्रादेशिक कार्यालय

All Exporters of spices / Regional Offices of the Spices Board.